संख्या–1203/62–2–2010–2/3(83)/2010टीसी–II

प्रेषक,

सुशील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई प्रखण्ड,
फैजाबाद।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 06 अप्रैल, 2011

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या–13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग/चेकडैमों के निर्माण हेतु सामान्य योजना में बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि का आवंटन (जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् मुख्य अभियंता, लघु सिचांई विभाग के पत्र संख्या–13/ल0सिं0/बजट–3/2011–12, दिनांक 06–04–2011 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21–3–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों के निर्माण हेतु सामान्य योजना के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि रू0–20,94,50,000/– (रू0 बीस करोड़ चौरान्नवे लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश सं0–1124–3/62–2–2010–2/3(83)/2010टीसी–II, दिनांक 01 अप्रैल,2011 द्वारा रू0–10,47,25,000/–(रू0 दस करोड़ सैतालिस लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। ततक्रम में मुख्य अभियंता के उपर्युक्त पत्र में किये गये प्रस्तावानुसार उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर के लिए प्रस्तावित परिव्यय रू0–40,00,000.00 (रूपये चालीस लाख मात्र) के सापेक्ष बजट प्राविधान रू0–40,00,000.00 के सापेक्ष रू0–20,00,000.00 (रूपया बीस लाख मात्र) की धनराशि उक्त शासनादेश दिनांक 01.4.2011 मे उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के अन्तर्गत अनुदान संख्या—13 के अधीन "लेखा शीर्षक—4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय —आयोजनागत—800—अन्य व्यय—05—लघु सिंचाई के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)—24—वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—901/दस—2011—231/2011, दिनांक 21—3—2011 के तहत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 1203 (1)/62—2—2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2— महालेखाकार, (लेखा—परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3— मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4— संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5— सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
6— सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7— सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग ।
8— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
9— राज्य योजना आयोग अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन।
10—वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2, उत्तर प्रदेश शासन।
11—वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन।
12—निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री (श्री जमील अख्तर)।
13—एन0आई0सी0 की प्रति।
14—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

Bud.scp.2011-109